न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर

जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः **2901 सन् 2026**,
रविन्द्र उर्फ रविन्द्र सिंह पुत्र चतर सिंह, निवासी ग्राम खबरा, थाना खुर्जा देहात, जिला बुलन्दशहर।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्याः—107 सन् 2026,
अन्तर्गत धाराः—118(2) व 126(2) बी.एन.एस.
थानाः—खुर्जा देहात, जिला बुलन्दशहर।

<u>निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र</u>

01. यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से मय शपथपत्र उपरोक्त प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त उक्त प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

02. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्कों को सुना एवं उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

03. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा कमल सिंह ने थाना हाजा जिला बुलन्दशहर पर सूचना दी कि वादी का बेटा ठेकेदार का कार्य करता है। दिनांक—22.04.2026 को करीब शाम 8 बजकर 30 मिनट पर मेरा बेटा खुर्जा से आ रहा था, सुका की ट्यूबवैल के सामने उसके बेटे की मोटर साइकिल के आगे बिरेजा गाडी से आगे से रोककर, गाडी मे से छः व्यक्ति उतरे और जान से मारने की नियत से उसके बेटे को फावडे के बैटो व सरिया से मरा समझकर उसके पास बैठ गये। वह अपने पौते को साथ लेकर खेतो से आ रहा था, उसके पोते का नाम ध्रुव पुत्र सत्यपाल है। उसे देखकर ये छः व्यक्ति भाग निकले, उसने टार्च की रोशनी से तीन व्यक्तियो को पहचान लिया है जिसमें रविन्द्र पुत्र चतरसिंह, विष्णु पुत्र रविन्द्र व आदित्य उर्फ आदि पुत्र रविन्द्र, निवासी ग्राम खबरा थाना खुर्जा देहात को खूब अच्छी तरह से पहचाना है, अन्य तीन लोगों को शकल से पहचाना है परन्तु नाम नही जानते हैं। उसके लडके के साथ खुर्जा से पूरन व बिन्दा मोटर साइकिल पर साथ में थे। उन लोगो को ये छः व्यक्ति देखकर गाडी में सवार होकर भाग गये। हम लोग अपने बेटे को लेकर जिसका नाम सत्यपाल सोलंकी है, प्रथम उपचार हेतु कैलाश अस्पताल खुर्जा ले गये, काफी चोट आने के कारण उनको मैट्रो अस्पताल सैक्टर 11 नोयडा भेज दिया। उसके लडके के नाक, कान ऑख व मुँह के जावडा पर गम्भीर चोटें आयी है, बाकी शरीर पर कहॉ—कहॉ चोटे आयीं है, अस्पताल में इलाज चलने के बाद पता चलेगा। बाहर से व्यक्ति बुलाने का काम रविन्द्र की घरवाली गीता का है। रविन्द्र का लडका नितिन पहले भी कई वारदात कर चुका है, जिसका मुकदमा थाना कोतवाली सिकन्द्राबाद में पंजीकृत है जो जेल मे बन्द है। वादी द्वारा रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई है।

04. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र में दिये गये आधारों को दोहराते हुए मुख्यतः कथन किया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है और उसने कोई अपराध कारित नही किया है। आवेदक/अभियुक्त को गांव की पार्टी बन्दी के आधार पर बासाज पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है। आवेदक/अभियुक्त घटना वो दिनाँक व समय पर घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। आवेदक/अभियुक्त अपने खेत पर मशीन द्वारा गेहूं निकलवा रहा था। आवेदक/अभियुक्त दिनाँक 29.04.2026 से जिला कारागार बुलन्दशहर में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

05. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त का पूर्व में जमानत प्रार्थनापत्र धारा 191(2), 191(3), 127(2), 109(1) व 61(2) बी.एन.एस. के अधीन निरस्त किया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना—पत्र निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

06.

07. अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

Digitally signed by SANJAY SINGH
Date: 2026.06.01 18:00:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

08. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पर यह आरोप है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर षड्यन्त्र के तहत वादी पक्ष का रास्ता रोककर उनके साथ मारपीट कर गम्भीर चोटें पहुॅचायी गयीं।

अभियोजन के अनुसार अब तक की विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि दिनॉक–22.4.2026 को समय करीब शाम 8.30 बजे वादी का पुत्र सत्यपाल सोलंकी खुर्जा से आ रहा था तो आवेदक/अभियुक्त तथा अन्य सह अभियुक्तगण ने मिलकर उसकी मोटर साईकिल के आगे ब्रेजा कार लगकार रास्ता रोक लिया और जान से मारने की नीयत से फावड़े के बैंटो व सरिये से मारपीट की और फिर मरा समझकर उसके पास बैठ गये। जब वादी अपने पौते ध्रुव के साथ खेतो से आ रहा था तो उसे देखकर आवेदक/ अभियुक्त तथा अन्य सह अभियुक्तगण भाग गये। स्वतन्त्र साक्षीगण पंकज उर्फ पूरन व अरविन्द उर्फ बिन्दा द्वारा अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किया जाना तथा घटना देखे जाने का कथन अपने साक्ष्य में किया गया है। सह अभियुक्त विष्णु की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बैंटे की बरामदगी की गयी है। चिकित्सक डॉ0 श्री आकाश मिश्रा द्वारा अपने बयान में यह कथन किया गया है कि नेत्र विशेषज्ञ ने ऑख की गम्भीर चोट देखकर ऑख निकालने की सर्जरी की सलाह दी गयी। यद्यपि सह अभियुक्ता गीता की जमानत पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है, परन्तु आवेदक/ अभियुक्त की भूमिका सह अभियुक्ता से भिन्न है। आवेदक/ अभियुक्त की भूमिका सह अभियुक्त हिमांशु उर्फ सिंग्गा के समान है, जिसका जमानत प्रार्थना पत्र पूर्व में निरस्त किया जा चुका है।

चोटहिल सतपाल सिंह की आघात आख्या में उसे एक चोट फटे हुए घाव की बॉयी ऑख पर, एक चोट diffuse swelling बॉये पैराईटल रीजन पर, diffuse swelling चेहरे के बॉयी ओर, एक फटा हुआ घाव बॉये कान पर, एक चोट बॉये आख पर सूजन, mandisile deformity उपस्थित होने, पेट पर दो खरोंचे बॉयी ओर होने तथा नाक से खून आने का उल्लेख किया गया है। चोटहिल सतपाल की सी0टी0 हैड/ ब्रेन में यह वर्णित किया गया है–

1. Resolving contusions with surrounding edema in left basifrontal and temporal lobes.
2. Epidural hemorrhage in left temporal region.
3. Blood density in left sylvian fissure.
4. Left phthisis bulbi.
5. Fracture of frontal bone on left side involving roof and lateral wall of left orbit, left temporal lobe, left zygomatic arch, left ramus of mandible, anterior and posterolateral wall of left maxillary sinus and left medial and lateral pterygoid plates. Subluxation of left condylar process of mandible anteriorly.
6. Hemosinus noted in left frontal, maxillary and sphenoid sinuses.

उक्त अपराध में आवेदक का पूर्व में जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 191(2), 191(3), 127(2), 61(2), 109(1) बी.एन.एस. पूर्व में निरस्त किया जा चुका है। उक्त अपराध में धारा 118(2), 126(2), बी.एन.एस. की बढोत्तरी के कारण यह जमानत आवेदन प्रस्तुत किया है।

आवेदक/अभियुक्त की अपराध में प्रथम दृष्टया सक्रिय भूमिका दर्शित है। आवेदक/ अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। यद्यपि सह अभियुक्ता गीता की जमानत पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है, परन्तु आवेदक/ अभियुक्त की भूमिका सह अभियुक्ता गीता से भिन्न है। आवेदक/ अभियुक्त की भूमिका सह अभियुक्त हिमांशु उर्फ सिंग्गा के समान है, जिसका जमानत प्रार्थना पत्र पूर्व में इस न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त का यह जमानत प्रार्थना पत्र धारा 118(2) व 126(2) बी.एन.एस के अधीन निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त रविन्द्र उर्फ रविन्द्र सिंह का यह जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 118(2) व 126(2) बी.एन.एस निरस्त किया जाता है।

(संजय सिंह–I)
सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

दिनांक : 01.06.2026
सत्यप्रकाश सक्सैना–पी0ए0.